



**Latest
Laws.com**

Helping Good People Do Good Things

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 379

11 अग्रहायण 1925 शकाब्द
रौंची, मंगलवार 2 दिसम्बर, 2003

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2003

संख्या-एल०जी०-३-४६ लेज०--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 25 नवम्बर, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003

[झारखण्ड अधिनियम 08, 2003]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2000 (अंगीकृत) में संशोधन के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें (चौबावें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह दिनांक 9 नवम्बर, 2001 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 9(7)(i) में एक पृथक उप-कंडिका का प्रतिस्थापन - झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा, 9(7)(i) में निम्न पृथक उप-कंडिका प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा -

“9(7)(i)(क) कुलाधिपति को यह भी शक्ति रहेगी कि वे बिहार के विश्वविद्यालयों के ऐसे पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवायें स्वीकार कर सकेंगे जिनके पति/पत्नी की सेवायें झारखण्ड राज्य को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के आलोक में स्थानान्तरित कर दी गई हो तथा जिन्हें बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की सहमति से भागमुक्त किया गया हो। स्थानान्तरित ऐसे व्यक्ति अपनी पारस्परिक वरीयता कायम रखेंगे।”

परन्तु यह प्रावधान संशोधन अधिनियम के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए ही प्रभावी रहेगा।

3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव--किसी न्यायालय, न्यायाधीकरण या प्राधिकार द्वारा पारित कोई निर्णय, डिक्री या आदेश तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या 5/स्था०-01/2001-353, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 के फलस्वरूप किये गये कोई कार्य, निर्गत सभी आदेश तथा किये गये सभी स्थानान्तरण विधि मान्य समझे जायेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत समझे जायेंगे।

4. निरसन एवं व्यावृति-- (i) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश-2003 (झारखण्ड अध्यादेश सं० 1, 2003) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो वह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश प्रसाद सिन्हा,
सरकार के प्रभारी सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची।